संख्या-9/आ0-04-14/2006 — 948 (9)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डा0 देवेन्द्र कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैजलपुर, असरगंज, मुंगेर दिनांक 17.12.2004 से 22.12.2004 तक का अवकाश आवेदन समर्पित कर उसे बिना स्वीकृत कराए चिकित्सा के लिए प्रस्थान करने तथा दिनांक 16.07.2008 को सिविल सर्जन कार्यालय, मुंगेर में योगदान समर्पित करने के उपरांत पुनः अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाने के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0 1243(9) दिनांक 23.09.2013 एवं संशोधित संकल्प सं0 393(9) दिनांक 10.06.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित पाया गया।

3. विभागीय पत्रांक 85(9) दिनांक 14.02.2015 द्वारा डा0 देवेन्द्र कुमार सिंह से द्वितीय कारणपृच्छा की गई जिसके प्रत्युत्तर में डा0 सिंह ने उल्लेख किया कि दिनांक 17.12.04 से 22.12.2004 तक अवकाश हेतु लिखित आवेदन समर्पित किया था तथा सिविल सर्जन, मुंगेर को दूरभाष से अवकाश की सूचना दी थी। उनके अनुसार दिनांक 17.07.2008 को उन्होने सिविल सर्जन कार्यालय में योगदान करने के उपरांत विभाग से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें कोई काम नहीं दिया गया।

4. आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम एवं डा0 सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर की विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत उन्हें पॉच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है तथा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गई।

5. अतः डा0 देवेन्द्र कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, असरगंज, मुंगेर को 5 वर्षो से अधिक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– संकल्प की प्रति डा0 देवेन्द्र कुमार सिंह एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 948 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 09/09/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी मुंगेर/क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य मुंगेरें प्रमंडल मुंगेर/सिविल सर्जन मुंगेर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 देवेन्द्र कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैजलपुर, असरगंज, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएें बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\Section-9-01 11-12 SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx